



क्रमांक : 006/Estt./A.T./70/2021/ 1106

दिनांक : 07.09.2021

कार्यालयादेश

कार्य-परिषद की दिनांक 12.08.2021 को सम्पन्न 70वीं बैठक में मद संख्या-07 के तहत लिए गए निर्णय के आलोक में विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मियों के पाँच लाख रुपये तक के चिकित्सा बिलों की प्रतिपूर्ति हेतु कुलपति को अधिकृत किया जाता है। पाँच लाख रुपये से अधिक बिलों की प्रतिपूर्ति हेतु प्रकरण वित्त विभाग की संस्तुति के साथ कार्य-परिषद के समक्ष प्रस्तुत किए जाएँगे।

यह आदेश सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत जारी किया जा रहा है।

कादर नवाज़
(कादर नवाज़ खान)
कार्यकारी कुलसचिव
07/09/21

प्रतिलिपि

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति (द्वय) कार्यालय
3. कुलसचिव कार्यालय
4. समस्त अधिष्ठाता, विभाग अध्यक्ष/प्रमुख, केंद्र निदेशक, क्षेत्रीय केंद्रों के अकादमिक निदेशक/प्रभारी
5. वित्त विभाग, आवश्यक कार्रवाई हेतु
6. लीला, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
7. रक्षित पत्रावली।